राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः प. 18(2)नविवि/विविध/2019 जयपुर, दिनांक 07/02/2019

आदेश

प्रायः यह पाया गया है कि नगर पालिका संस्थाओं, विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार न्यासों, नगर नियोजन विभाग एवं आवासन मण्डल के विभिन्न कार्यालयों के लम्बित कार्यों को सम्पादित करवाने हेतु बड़ी संख्या में आमजन अपने अभ्यावेदन लेकर आ रहे हैं, जिससे यह आभास होता है कि इन संस्थाओं के स्थानीय कार्यालयों में बिना किसी ठोस कारण के विभिन्न प्रकरण लम्बित रहते हैं और आमजन स्थानीय कार्यालयों के बार–बार चक्कर लगाते रहते हैं एवं मजबूर होकर विभाग में राज्य स्तर पर उपस्थित हो रहे हैं।

इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निर्देश दिये गये है कि शहरी निकायों में आमजन के लम्बित कार्यों का सर्वे/चिन्हीकरण कराया जावे और अभियान चलाकर उनका समाधान किया जावे।

अतः इस संबंध में यह निर्देश दिये जाते है कि विकास प्राधिकरणों, नगर विकास न्यासों एवं राजस्थान आवासन मण्डल में आमजन के लम्बित कार्यों (जिनकी विषय सूची परिशिष्ट पर संलग्न है) का सर्वप्रथम सर्वे/चिन्हीकरण किया जावे। सर्वे/चिन्हीकरण कार्य के उपरान्त लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के लिये शहरी निकायों में अभियान चलाया जायेगा।

इस हेतु प्रत्येक शहरी निकाय में लम्बित कार्यों का सर्वे/चिन्हीकरण करने के लिये वार्डवार निरीक्षण दल बनाये जाये, जिसमें नगरपालिका संस्था अपने क्षेत्रों में, विकास प्राधिकरण अपने क्षेत्रों में, नगर विकास न्यास अपने क्षेत्रों में, आवासन मण्डल अपने क्षेत्रों में अपने अधिकारी नियुक्त करेंगे। विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास के ऐसे क्षेत्र जो नगर पालिका क्षेत्र से बाहर है, उनमें जोनवार सर्वे/चिन्हीकरण सम्बन्धित न्यास, विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से कराया जायेगा। वार्डवार एवं जोनवार गठित दलों की सूचना दिनांक 20.02.2019 तक नगर पालिका संस्थाओं के संबंध में निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग को तथा विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार न्यास एवं आवासन मण्डल के संबंध में नगरीय विकास विभाग को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे।

वार्डवार एवं जोनवार लम्बित कार्यों के सर्वे/चिन्हीकरण का यह कार्य दिनांक 25.02.2019 से दिनांक 25.03.2019 तक सम्पन्न कर लिया जावें। सर्वे/चिन्हीकरण में पाये गये लम्बित कार्यों की सूची वार्डवार एवं जोनवार पूर्ण विवरण के साथ इस प्रयोजनार्थ संधारित रजिस्टर में दर्ज की जायेगी। तत्पश्चात् किये गये सर्वे/चिन्हित प्रकरणों एवं अन्य समस्याओं के निस्तारण के लिये पूर्व में वर्ष 2012–13 में आयोजित **प्रशासन शहरों के संग अभियान** की तर्ज पर अभियान चलाने का कार्यक्रम अलग से निर्धारित किया जायेगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्नः– परिशिष्ट

7/2/19
(कन्हैया लाल स्वामी)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned by CamScanner

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को आवश्यक सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
5. आयुक्त/सचिव, विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
6. आयुक्त/सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. संयुक्त शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
10. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
11. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त.....।
12. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगर विकास विभाग।
13. समस्त अधिकारीगण, नगरीय विकास विभाग।
14. वरिष्ठ उप शासन सचिव, को भेजकर लेख है कि विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
15. रक्षित पत्रावली।

7/2/19

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned by CamScanner

वार्डवार/जोनवार सर्वे के दौरान लिये जाने वाले विषयों की सूची

1. कृषि भूमि पर बसी आवासीय योजनाओं के नियमन, पट्टे जारी करने बाबत (माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अध्यधीन)।
2. अनुमोदित आवासीय योजनाओं के भूखण्डों के पट्टे जारी करना।
3. एकमुश्त लीज जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण–पत्र जारी करना।
4. भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण।
5. ले–आउट प्लान के अनुमोदन के प्रकरण।
6. भवन निर्माण स्वीकृति के प्रकरण।
7. सीवर लाईन कनेक्शन के प्रकरण।
8. टूटी सड़कों की मरम्मत का कार्य।
9. खांचा भूमि का आवंटन।
10. कच्ची बस्ती के नियमन के प्रकरण।
11. विभिन्न व्यक्तिगत लाभार्थी येाजनाओं के आवेदन तैयार कराने के प्रकरण।
12. शहरी निकाय/आवासन मण्डल के अन्य प्रकरण जो आमजन से संबंधित हो।

Scanned by CamScanner